न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज.

बइजलास – श्री उम्मेदसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 07 / 2018 / अपील दायर दिनांक 17/08/2018

उनवान

1. रमेशचन्द पि. मदनलाल जाति बागरी नि. रोशनबाडी तहसील रायपुर

बनाम

1. राज सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा
2. ग्राम पंचायत कडोदिया पंचायत समिति पिडावा मु0सुनेल

अपील बराराजगी आदेश दिनांक 10.06.2016
नामा0सं. 904 ग्राम पंचायत कडोदिया

उपस्थिति – वकील अपीलांटस – श्री अशोक पाटीदार

आदेश दिनांक : 06/01/2021

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने ग्राम पंचायत कडोदिया द्वारा निर्णित नामा.सं. 904 दिनांक 10.06.2016 के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रोशनबाडी की जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 153 की आराजी किता 3 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा , खाता सं. 158 की आराजी किता 5 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा , खाता सं. 210 की आराजी किता 3 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा भूमि खातेदार मृतक बाला पि. घीसा बागरी नि. रोशनबाडी की थी जो कि अपीलांट के दादाजी थे।

ग्राम रोशनबाडी की जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 210 की आराजी किता 3 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा भूमि के संबंध में दर्ज किये गये नामान्तरण संख्या 904 दिनांक 10.06.2016 से असंतुष्ट होकर अपील पेश की है। मृतक बाला पि. घीसा बागरी का पारिवारिक शजरा निम्नानुसार है –

मृतक बाला
- मृतक मदनलाल (पुत्र)
  - रमेशचन्द (पुत्र)
- मोहनलाल (पुत्र)
- सोहनबाई (पुत्री)
- कंचनबाई (पुत्री)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

COURT 2021
Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.01.09 12:20:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

बाला पि. धीसा बागरी की मृत्यु के उपरांत ग्राम पंचायत कडोदिया द्वारा ग्राम रोशनबाडी की वादग्रस्त आराजी के संबंध में फोती नामान्तरण दर्ज किया जिसमें अपीलांट का नाम दर्ज नहीं किया गया जबकि अपीलांट मृतक बाला का वैध वारीसान मृतक मदनलाल का पुत्र है जिसकी पुष्टि ग्राम रोशनबाडी के अन्य खातो में दर्ज किये गये नामान्तरण सं. 714 एवं 750 से होती है। प्रार्थी को उक्त आराजी में अपना नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी दिनांक 05.06.2018 को नकल लेने पर हुई। ग्राम पंचायत कडोदिया द्वारा बिना किसी प्रकार की जांच किये उक्त नामान्तरण को तस्दीक कर दिया जो काबलि खारीज है। अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर आदेश ग्राम पंचायत कडोदिया दिनांक 10.06.2016 नामा0सं0 904 खारीज कर अपीलांटस का नाम दर्ज किया जावे। अपील के साथ ग्राम रोशनबाडी की जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 153 , 210 , 158 व नामा.सं. 904 , 750 एवं फोटो परिचय पत्र की प्रति पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में अपीलांटस की ओर से रमेशचन्द , हरीसिंह के शपथ पत्र पेश किये गये। वकील अपीलांटस बहस सुनी गई।

पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया कि ग्राम रोशनबाडी की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 210 की आराजी किता 3 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा भूमि खातेदार मृतक बाला पि. धीसा बागरी नि. रोशनबाडी को फोती नामान्तरण दर्ज करते समय अपीलांट रमेशचन्द पि. मदनलाल को वारीस नहीं बताया गया जिसकी जांचकर्ता एवं तस्दीककर्ता ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी जांच के नामा सं. 904 को तस्दीक कर दिया जबकि इसी ग्राम की अन्य आराजी खाता सं. 153 की आराजी किता 3 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा , खाता सं. 158 की आराजी किता 5 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा में दर्ज किये गये मृतक बाला पि. धीसा बागरी नि. रोशनबाडी के फोती नामान्तरण में अपीलांट को वारीस बताकर नामा.तस्दीक किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मृतक बाला पि. धीसा बागरी नि. रोशनबाडी का अपीलांट वैध वारीसान होते हुये भी उसका नाम नामा.सं. 904 में दर्ज नहीं किया एवं ग्राम पंचायत द्वारा भी बिना विधिक जांच किये उक्त नामा0 को तस्दीक कर दिया जो कि गलत है जिसे न्यायहित में सही किया जाना आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

COURT 2021
Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.01.09 12:20:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

अतः प्रस्तुत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम रोशनबाडी की आराजी खाता सं. 210 की आराजी किता 3 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा भूमि के संबंध में दर्ज नामा.सं. 904 दि. 10.06.2016 निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार रायपुर को प्रकरण रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि मृतक वाला पि. धीरा बागरी नि. रोशनबाडी के वारीसान की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(उम्मेदसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.01.09 12:20:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner